regarding the status of pollution control and the action taken by them against such defaulting units. The actions which can be taken by a State Board against defaulting units include withdrawal of the consent given or not issuing a fresh consent in case the validity of the previous consent is over, issuing directions giving a time-bound programme for installation of pollution control devices, prosecution or issuing closure orders in case the units are not progressing well in implementation of the time-bound pollution control programmes.

सौराष्ट्र में वनों के विकास हेतु केन्द्रीय और विदेशी सहायता

1091. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में वनों के विकास हेतु केन्द्रीय और विदेशी सहायता से आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक, जिलावार, कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ;

(घ) क्या उक्त वित्तीय सहायता राशि को वास्तव में उसी योजना पर खर्च किया जा रहा है, जिसके लिये उसका आवंटन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) सौराष्ट्र क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान वनों के विकास के लिये केन्द्रीय और विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण–I में है। **(नीचे देखिये)**

विगत तीन वर्षों के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों सहित गुजरात में पर्यावरण और वन मंत्रालय को चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण–II में है। **(नीचे देखिये)**

राज्य सरकार द्वारा दिये गये उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार जिन विभिन्न योजनाओं के लिये धनराशि आवंटित की गई थी वह उन्हीं योजनाओं पर खर्च की जा रही है।

विवरण–I

विगत तीन वर्षों के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में वनों के विकास के लिये केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सहायता का प्रकार	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये)
1	एकीकृत वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना स्कीम	भावनगर	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	1991–92 से 1995–96 तक	398.65
2	उद्यानों और सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारिस्थितिकीय विकास	जूनागढ़	यूएनडीपी सहायता	1993–94	4.75*

*गिर अभयारण्य के लिये परियोजना दस्तावेज तैयार करने हेतु।

विवरण–II

गुजरात में पर्यावरण और वन मंत्रालय की चल रही योजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/योजना का नाम	अवमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा (लाख रुपये)		
		1991–92	1992–93	1993–94
1	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी व चारा योजना*	212.98	122.37	84.87
2	एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास परियोजना	—	138.02	102.41
3	राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का विकास**	30.06	15.83	23.134
4	सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकीय विकास**	5.75	17.70	12.688
5	औषधीय पौधों सहित लघुवनोपज	54.20	47.69	103.00
6	बीज विकास योजना	9.65	10.62	18.72
7	दावानल को नियंत्रित करने की आधुनिक विधि	—	5.00	8.00

*यह योजना बड़ोदरा, पंचमहल, कच्छ, सुरेन्द्रनगर, साबरकंठ, जामनगर तथा भावनगर जिलों में चलाई जा रही है।

**यह योजना जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, सुरेन्द्र नगर तथा भावनगर में चलाई जा रही है।

Reserve Forest land in Gujarat and Maharashtra

1092. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the total area of reserved forest land in Gujarat and Maharashtra at present;

(b) whether it is a fact that various illegal occupants have encroached upon several hectares of reserved forest land in Gujarat and Maharashtra; and

(c) what measures/steps have been taken by Government to remove such encroachments from this land?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The total area of Reserved Forest Land in Gujarat is 13820 sq. kms and in Maharashtra it is 42608 Sq. Kms., as reported by the State Governments.

(b) Yes, Sir.

(c) Following steps are taken to remove encroachments on forest lands;

1. The help of Revenue and Police Departments is taken for removal of encroachment in initial Stages.